भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3563
(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए खर्च किया जाना

3563. डा. भालचन्द्र मुणगेकर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कितनी-कितनी राशि उपलब्ध थी;
(ख) इन वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई थी; और
(ग) वे व्यापक कार्यक्रम कौन-कौन से हैं जिन पर यह राशि खर्च की गई थी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी उपबंध हाल ही अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। सी.एस.आर. के तहत आबंटित राशि, व्यय की गई राशि और चलाए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति और कंपनियों द्वारा अपेक्षित सांविधिक विवरणियां जो कि सितंबर, 2015 के बाद देय होंगी, भरने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

*****